

संख्या: 11013/2/88-स्थापना {क}
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
{कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग}

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर, 1988

शुद्धि-पत्र

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा {आवरण} नियमावली - 1964 - अनुमति
देने के लिए समय सीमा ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 7.9.88 के इसी
संख्या के कार्यालय ज्ञापन का आशिक संशोधन करते हुए "चल तथा अचल
संपत्तियों" का लेन-देन प्रविष्टि में संबंधित क्रम संख्या {1} में नियम
संख्या कालम के अधीन "18{2}" के बाद संख्या "18{3}" जोड़ा जाए ।
इस प्रकार केन्द्रीय सिविल सेवा {सर्वांग} नियमावली, 1964 के नियम
"18{3}" के अनुसार अनुमति देने के लिए समय-सीमा, सरकारी कर्मचारियों
के अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की होगी ।

↓ ३१.१०
{ एम०वी० केशवन {
निदेशक { स्था० {

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग ।